राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर
स्टेट हैल्थ सोसायटी (एन.सी.डी.)
E-mail ID <npcdcsrajasthan@gmail.com> Contact No. : 0141-2388020

क्रमांकः एनसीडी / T.B-Diabetes / 2019/ 426 दिनांक 9-7-19

1. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा.),
2. समस्त जिला टी.बी अधिकारी,
   राजस्थान।

विषयः–एनपीसीडीसीएस तथा आरएनटीसीपी कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलों में "National Framework for Joint TB-Diabetes Collaborative Activities" कार्यक्रम के दिशा निर्देशों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः–इकोनोमिक एडवाईजर (एनसीडी) तथा संयुक्त सचिव (आरएनटीसीपी) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार का पत्रांक Z-28015/64/2011-TB दिनांक 02.07.2019 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि भारत सरकार द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि एनसीडी तथा आरएनटीसीपी कार्यक्रम के समन्वय से **"National Framework for Joint TB-Diabetes Collaborative Activities"** दिशा निर्देश जारी कर इन दिशा निर्देशों को जिलों में क्रियान्वित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डायबिटिज, टी.बी के जोखिम को 3 गुना कर देती है व लगभग 20 प्रतिशत टी.बी के मरीजों में डायबिटिज भी पाई गई है। डायबिटिज होने के कारण टी.बी के उपचार में तथा टी.बी होने के कारण डायबिटिज के उपचार में समस्याऐं उत्पन्न होती है।

पत्र द्वारा यह भी संज्ञान में लाया गया है कि राजस्थान राज्य में डायबिटिज के कुल **1633637** मरीजों के समक्ष टी.बी की स्क्रीनिंग केवल **54192 (3 %)** मरीजों की गई तथा कुल **114665** टी.बी मरीजों के समक्ष कुल **43578 (38 %)** व्यक्तियों की ही ब्लड शुगर स्क्रीनिंग की गई जिसमे से कुल **1247 (3 %)** व्यक्तियों को ही टी.बी तथा डायबिटिज दोनो ही बिमारियों से ग्रसित होना पाया गया तथा इन 1247 मरीजों में भी केबल **559 (45 %)** मरीज ही डायबिटिज का उपचार ले रहे है ऐसा अवगत कराया गया है जो कि अपेक्षित नहीं है।

साथ ही यह भी अवगत करवाया गया है कि राजस्थान राज्य के कुल **77 प्रतिशत** अधिकृत माइक्रोस्कोपी सेन्टर डायबिटिज स्क्रीनिंग की फैसिलिटि के साथ में संचालित है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको यह निर्देशित किया जाता है कि :–

1. संशोधित CBAC चैक लिस्ट जब आशा द्वारा जनसंख्या आधारित एनसीडी सर्वे के समय भरी जाऐ तब टी.बी के लक्षणों के बारे में पूछ कर सम्भावित मरीजों को अंतिम निदान तथा उपचार हेतु सम्बन्धित पीएचसी अथवा सीएचसी पर रैफर किया जाऐं।

2. टी.बी तथा डायबिटिज के सम्भावित केस जो कि जनसंख्या आधारित एनसीडी सर्वे तथा स्क्रीनिंग / ओ.पी.डी स्क्रीनिंग / आउटरिच स्क्रीनिंग के दौरान पाये गये है उनका उक्त दोनो ही बिमारियों के लिए स्क्रीनिंग, अंतिम निदान तथा उपचार करवाया जाऐ। **अर्थात प्रत्येक टी.बी रोगी की डायबिटिज के सम्बन्ध में स्क्रीनिंग की जानी चाहिऐं तथा प्रत्येक डायबिटिज रोगी से टी.बी के लक्षणों के बारे में पूछा जाना चाहिऐं व यदि कोई व्यक्ति टी.बी से रोग से सम्भावित पाया जाता है तो उस व्यक्ति की भी टी.बी स्क्रीनिंग की जानी चाहिये।**

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर
स्टेट हैल्थ सोसायटी (एन.सी.डी.)
E-mail ID <npcdcsrajasthan@gmail.com> Contact No. : 0141-2388020

एनपीएचसीई

3. जिलों द्वारा उक्त प्रोग्रामों की समय–समय पर मोनीटिरिंग की जावे तथा मासिक बैठकों (जिला/ब्लॉक स्तर पर) में समीक्षा कर डाटा का भी वेलिडेशन करें।

4. जिलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावें कि प्रत्येक अधिकृत माइक्रोस्कोपी सेन्टर पर डायबिटिज स्क्रीनिंग की जावे तथा प्रत्येक एनसीडी क्लीनिक/पीएचसी/सीएचसी पर डायबिटिज के मरीजों से टी.बी के लक्षण जानकर सम्भावित मरीजों की स्क्रीनिंग की जावें।

5. जिला एनसीडी सैल तथा टी.बी सैल माह में एक बार आवश्यक रूप से बैठक कर उपरोक्त क्रियान्वितियां सुनिश्चित करले तथा विशेष रूप से यह भी देखले कि चिकित्सालयों द्वारा प्रोग्राम की रिपोर्ट अपेक्षाकृत कम ना आकर रिपोर्ट एनसीडी रिर्पोटिंग फोर्म 5 ए में राज्य स्तर पर प्रेषित की जावें।

संलग्न :–**"National Framework for Joint TB-Diabetes Collaborative Activities"** दिशा निर्देश

पत्र को पूर्ण प्राथमिकता देवें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एनसीडी/T.B-Diabetes/2019/426
दिनांक 9.7.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव (एनएचएम), मुख्यालय।
4. स्टेट टी.बी. अधिकारी, मुख्यालय।
5. स्टेट नोडल ऑफिसर वर्टिकल प्रोग्राम/हैल्थवेलनेस सेन्टर, मुख्यालय।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
7. समस्त जिला एनसीडी/टी.बी सैल को पालनार्थ।
8. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय।
9. कार्यालय प्रति।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर